

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

कमांक / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 01-पार्ट / 2017-18 / ३९१ भोपाल, दिनांक १६/८/2017

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल का कार्यालयीन पत्र कमांक / बी-6 / नियमन / विविध / 3678 दिनांक 27.09.2008 द्वारा प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृत्यकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008” प्रचलित है।

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008” के अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में स्थाई अपंगता सहायता, आंशिक अपंगता सहायता एवं अन्त्येष्टि सहायता में वृद्धि किये जाने के लिये कार्यालयीन पत्र कमांक / बी-6 / नियमन / विविध / 3678 दिनांक 27.09.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए योजना की कंडिका-04 की तालिका की सहायता कमांक-02, 03, एवं 04 में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

क्र	सहायता का नाम	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.	स्थायी अपंगता सहायता	25,000/-	1.00 लाख
3.	आंशिक अपंगता सहायता	7,500/-	50,000/-
4.	अन्त्येष्टि सहायता	2,000/-	4,000/-

योजना की शेष शर्त पूर्व अनुसार रहेंगी एवं उक्त आर्थिक सहायता राशि की पात्रता आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

मान.अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित।

वि.क.अ.सह प्रबंध संचालक सह आयुक्त,

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक १६/८/2017

क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 01-पार्ट / 2017-18 / ३९२

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) विशेष सहायक, मान.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (3) उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (4) संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
- (5) कलेक्टर, जिला-.....(समस्त) म.प्र.।
- (6) अपर संचालक(वित्त), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- (7) अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचलिक कार्यालय.....(समस्त) म.प्र.।

वि.क.अ.सह प्रबंध संचालक सह आयुक्त,

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल